जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3/16

A3

**अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2016 अनवानी श्री अन्ग्रेज सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति कुम्हारसिख वार्ड न0 10 ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**17–02–2016**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अन्ग्रेज सिंह उपस्थित नही है। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अन्ग्रेज सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– सादुलशहर ग्रामीण ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला के उचित मूल्य दुकान (राशन डिपु) द्वारा वर्ष अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 तक तीन माह में आवंटन किये गये केरोसीन तेल के माह वार वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देंवें।
2– बी.पी.एल. खाद्य सुरक्षा, अन्तोदया, स्टेट बी.पी.एल. आदि का वितरण रजिस्टर अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 माहवार प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
3– अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 तीन माह का स्टॉक रजिस्टर सभी योजनांए जैसे बी.पी.एल., खाद्य सुरक्षा, अन्तोदय, स्टेट बी.पी.एल. एवं चीनी का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध करवायें। 4 अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 तक तीन माह का होलसेल द्वारा उठाव बिल उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उसे गलत सूचना उपलब्ध करवाई गई है अतः जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से सही सूचना उपलब्ध करवाई जावे एवं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने प्रतिवेदन संख्या 251 दिनांक 15.01.2016 के साथ पत्र सं0 4618–4619 दिनांक 10.11.15 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 06.11.15 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर से संबंधित होने से उसका मूल आवेदन पत्र जरिये पत्र सं0 4618 दिनांक 10.11.15 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को भिजवाते हुए आवेदक को भी पत्र की प्रति क्रमांक 4619 दिनांक 10.11.15 से भिजवाकर समय अवधि में सूचित कर दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी को अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के विरूद्ध करनी चाहिए थी किन्तु अपीलार्थी ने ऐसा न कर उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के लिए धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को पत्र सं0 4618 दिनांक 10.11.15 से अन्तरित कर पत्र की प्रतिलिपि जरिये क्रमांक 4619 दिनांक 10.11.15 से सूचित कर दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के कार्यालय से था इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा नियत अवधि में ही अपीलार्थी का मूल आवेदनपत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 10.11.15 को भेजकर अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी की यह अपील जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के विरूद्ध चलने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है। अगर अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से चाही गई सूचनांए निर्धारित अवधि में प्राप्त नही हुई है या उनसे प्राप्त सूचनांओ से असन्तुष्ट है। तो वह उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर